

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3048] No. 3048] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938

1, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5,

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

(आयकर)

का.आ. 4164(अ).—जहाँ कि केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतिशमन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के माध्यम से एक औद्योगिक पार्क योजना तैयार की है और इसे अधिसूचित किया है;

और जहाँ कि मेसर्स देवराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के ग्राम पिपलाज, वरून्दावन फार्म के सामने, तहसील, शहर, जिला अहमदाबाद, गुजरात – 382405 में औद्योगिक पार्क हैं (ग्राम पिपलाज के सर्वे संख्या 99 से 102, 108, 112 से 116, 118 से 124, 126, 127 एवं 129 और ग्राम लाम्भा के सर्वे संख्या 774, 776, 778, 780 से 784, 786 से 789 एवं 789 से 792)।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्द्वारा इस औद्योगिक पार्क के प्रारम्भ की तारीख अर्थात् 5 सितम्बर, 2010 से यह अंडरटेकिंग अधिसूचित करती है कि यह पार्क मेसर्स देवराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा तथा इस अधिसूचना के अनुबंध में वर्णित शर्तों और दशाओं के अधीन रहते हुए उक्त उपवाक्य (iii) के प्रयोजन के लिए विकसित किया जा रहा है, इसकी देखभाल की जा रही है और इसका संचालन किया जा रहा है।

अनुबंध

शर्तें एवं दशाएँ जिनके आधार पर भारत सरकार ने देवराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के द्वारा एक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने के लिए अपना अनुमोदन दिया है।

i. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम : देवराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

5927 GI/2016 (1)

ii. अवस्थिति : ग्राम पिपलाज के सर्वे संख्या 99 से 102, 08, 112 से 116, 118 से 124,

126, 127 एवं 129 और ग्राम लाम्भा के सर्वे संख्या 774, 776, 778, 780

से 784, 786 से 789 एवं 789 से 792

iii. न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र : 15000 वर्ग मीटर

iv. प्रस्तावित औद्योगिक क्रियाकलाप : जैसाकि भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर

बोर्ड) द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ.51(अ), दिनांक 08 जनवरी, 2008 के

तहत अधिसुचित औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में दिया गया है।

v. आवण्टन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत : 75% या अधिक

जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए

निर्धारित किया गया हो

vi. आवण्टन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत : 10% या कम

जिसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए

निर्धारित किया गया हौ

vii. औद्योगिक इकाईयों की न्यूनतम : 30 इकाइयां

संख्या

viii. प्रारम्भ की तारीख : 5 सितंबर, 2010

2. इस औद्योगिक पार्क के लिए यह माना जाएगा कि यह अपने प्रारम्भ होने की तारीख अर्थात 5 सितंबर, 2010 को बनकर तैयार हुआ है।

- 3. इस औद्योगिक पार्क को एक ही प्रतिष्ठान के स्वामित्व में होना चाहिए।
- 4. प्रतिष्ठान को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर का लाभ केवल तभी मिलेगा जब न्यूनतम 30 औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक पार्क में स्थापित होंगी तथा औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या की गणना के लिए किसी व्यक्ति की सभी इकाइयों को और उसके संबंधित सभी उपक्रमों को एक इकाई माना जाएगा।
- 5. कोई भी औद्योगिक इकाई अपने संबंधित उपक्रमों की इकाइयों के समेत आवण्टन योग्य क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को नहीं घेरेगी।
- 6. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर का लाभ केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो इस अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किए गए हों और इसका लाभ अन्य ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो कि बाद में अन्य किसी कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क को विकसित, विकसित और संचालित या उसकी देखभाल करता है।
- 7. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों और दशाओं को पूरा करने के अधीन रहते हुए कोई प्रतिष्ठान अपने विकल्प पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की उपधारा (4) के उपवाक्य (iii) के अंतर्गत उन 15 वर्षों में से लगातार 10 आंकलन वर्षों के लिए कटौती का दावा कर सकता है जो कि इस अधिसूचना में उल्लिखित औद्योगिक पार्क के प्रारंभ की तारीख से प्रारंभ होंगे।
- 8. इस औद्योगिक पार्क में अवस्थित सभी इकाइयां केवल वहीं कार्य करेंगे जिन्हें उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- 9. यह प्रतिष्ठान औद्योगिक पार्क के लिए अलग से बहीखाता रखेंगे और आयकर विभाग में निर्धारित तारीख तक अपना आयकर रिटर्न भरा करेंगे।
- 10. यह अधिसूचना तब अवैध हो जाएगी यदि;
- (i) उस आवेदन में जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने अनुमित दी है कोई गलत जानकारी या गलत सूचना दी गई हो या कुछ सारवान सूचना न दी गई हो;
- (ii) यह ऐसे औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के लिए हो जिसके लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान को पहले से ही अनुमोदन दे दिया गया हो;

और देवराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ऐसी अवैधता के जो भी परिणाम होंगे उसके प्रति पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

- 11. यह प्रतिष्ठान, उपरोक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में जैसाकि प्रावधान किया गया है, फार्म आईपीएस-II में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तत किया करेगा।
- 12. इस अधिसूचना में तथा साथ ही साथ उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में उल्लिखित शर्तों और दशाओं का उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिस अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत लाभ लिया जाता हो और यदि यह प्रतिष्ठान किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो केंद्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है।
- 13. बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन से परियोजना प्लान में कोई संशोधन किया जाता है या ऐसे संशोधन का बाद में भी पता चलता है या यह प्रतिष्ठान किसी सारवान तथ्य को प्रकट नहीं कर पाता है तो उक्त औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अवैध हो जाएगा।
- 14. इस आदेश को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के द्वारा स्पेशल सिविल एप्लिकेशन नं. 17118/2014 दिनांक 08-09/08/2016 में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

[अधिसूचना सं. 121/ 2016/फा. सं.178/07/2009-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा. निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2016

(INCOME-TAX)

S.O. 4164(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of subsection (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) vide number S.O. 51 (E), dated the 8th January, 2008;

And whereas M/s Devraj Infrastructures Ltd, having its industrial park at the village Piplaj Opp. Vrundavan Farm, Tehsil City Distt. Ahmedabad, Gujarat – 382405 (survey numbers : 99 to 102, 108, 112 to 116, 118 to 124, 126, 127 & 129 of Village Piplaj and Survey nos. 774, 776, 778, 780 to 784, 786 & 789 to 792 of Village Lambha).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, read with rule 18C of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the undertaking from the date of commencement of the industrial park the 5th September, 2010 being developed and being maintained and operated by M/s Devraj Infrastructure Ltd., for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the Annexure to this notification.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by Devraj Infrastructures Ltd.

(i) Name of the industrial : Devraj Infrastructures Ltd.

undertaking

(ii) Location : Survey numbers: 99 to 102, 108, 112 to 116, 118 to 124, 126, 127

& 129 of Village Piplaj and Survey nos. 774, 776, 778, 780 to 784,

786 & 789to 792 of village Lambha.

(iii) Minimum constructed : 15000 square meters.

floor area

(vii)

(iv) Proposed industrial : As defined in Industrial Park Scheme,

activities 2008 notified by the Government of India,

Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) vide notification Number. S.O. 51 (E),

dated the 8th January, 2008.

(v) Percentage of allocable : 75% or more.

area earmarked for

industrial use

(vi) Percentage of allocable : 10% or less.

area earmarked for commercial use

Minimum number of :

industrial units

30 units.

(viii) Date of commencement : 5th September, 2010.

2. The industrial park shall be construed as developed on the date of its commencement that is, the 5th September, 2010.

- 3. The industrial park should be owned by one undertaking.
- 4. The tax benefits under the Income-tax Act, 1961 shall be available to the undertaking only if minimum number of thirty industrial units are located in the industrial park and for the purpose of computing the minimum number of industrial units, all units of a person and his associated enterprises shall be treated as a single unit.
- 5. No industrial unit, alongwith the units of an associated enterprise, shall occupy more than twenty five per cent. of the allocable area.
- 6. The tax benefits under the Income-tax Act, 1961 shall be available only to the undertaking notified by this notification and not to any other person who may subsequently develop, develops and operates or maintains and operates the notified industrial park, for any reason.
- 7. The undertaking, subject to the fulfillment of the term and conditions mentioned in this notification, may at its option claim deduction under clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 for any ten consecutive assessment years out of fifteen years beginning from the assessment year relevant to the date of commencement of industrial park mentioned in this notification.
- 8. The industrial units located in the industrial park shall undertake only those activities as specified in Industrial Park Scheme, 2008 mentioned above.
- 9. The undertaking shall keep separate books of accounts for the industrial park and shall file its income tax returns by the due date before the Income-tax Department.
- 10. This notification shall be invalid, if—
 - (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information or misinformation or some material information has not been provided in it;
 - (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking,

and Devraj Infrastructures Ltd. shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity.

11. The undertaking shall furnish an annual report to the Central Board of Direct Taxes in Form IPS-II as provided in the Industrial Park Scheme, 2008 mentioned above.

- 12. The terms and conditions mentioned in this notification as well as those included in the aforesaid Industrial Park Scheme, 2008 should be adhered to during the period for which benefits under the said scheme are to be availed and in case the undertaking, fails to comply with any of the conditions, the Central Government may withdraw the aforesaid approval.
- 13. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection of such amendment in future, or failure on the part of the undertaking to disclose any material fact, shall invalidate the approval of the industrial park.
- 14. This order is being issued in compliance to the order of Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in Special Civil Application no. 17118 of 2014 dated 08-09/08/2016.

[Notification No. 121/2016/ F. No. 178/07/2009-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director